

सामान्य प्रशासन विभाग

(ध-आनुविधान)

गोपाल, दिनांक ३० जनवरी १९६६—माष १०, १९६०

क. २५०-४६५३-एक-वा-इच.—भाष्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, १९६६ (क्रमांक २७ सन् १९६६), की धारा ५ के साथ पठित गारा द द्वारा मदता याचितयों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एकद्वारा, निम्नसिखित नियम बनाती है, अब्दिः—

नियम

१. अधिनियम नाम—ये नियम मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य नियम, १९६६ द्वारा योग्य हैं।

२. नियमावाये—इन नियमों में, शब्द तक कि, मन्दर्भ भी अन्यथा घोषित न हो,—

(अ) “अधिनियम” से तात्पूर्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, १९६६ (क्रमांक २७ सन् १९६६) से है;

(ब) “हृलूप” से तात्पूर्य इन नियमों से संलग्न प्रबन्ध से है;

(ग) “प्रजापना” से तात्पूर्य अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन विषे जाने के लिये घोषित धर्म-संपरिवर्तन के संबंध में प्रयोगना से है।

३. लृक्षालायधि जिले के भीतर प्रजापना भेजी जायगी—(१) प्रजापना, उस जिले के, जिसमें धर्म-संपरिवर्तन के हिये आवश्यक प्रक्रियाएँ हो, ऐसे संस्कार के प्रजापना सारा दिन के भीतर जिला मणिस्ट्रोट को भेजी जायेगी।

(२) प्रजापना प्रख्य 'ब' में भेजी जायगी और जिला मणिस्ट्रोट को ऐसी प्रजापना देने वाले व्यवित द्वारा या तो अधिकारी परिवहन में जाएंगी या उसे, अग्रिम्यक्रिया के अधीन अधिकारी को द्वारा भेजी जायेगी।

४. जिला मणिस्ट्रोट अग्रिम्यक्रिया की रसीद देगा—जिला मणिस्ट्रोट, प्रजापना प्राप्त होने पर, वह तारीख जिसको और वह समय जिस पर, यह प्रजापना उसे परिवहन की गई हो या उसके द्वारा प्राप्त की गई हो, वेते हुये उस पर एक प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करेगा और प्रख्य 'प' में उसकी प्राप्ति की तरकार अग्रिम्यक्रिया द्वारा प्राप्त होगी।

५. धर्म-संपरिवर्तन का रजिस्टर—जिला मणिस्ट्रोट, प्रख्य 'ग' में धर्म-संपरिवर्तन का रजिस्टर रखेगा और उसमें उसके द्वारा प्राप्त प्रजापनाओं की विविधियां अविष्ट करेगा।

६. राज्य सरकार को रिपोर्ट की प्रस्तुति—जिला मणिस्ट्रोट, पूर्व वर्ती मास के दौरान उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रजापनाओं की प्रख्य 'प' में एह रिपोर्ट प्रत्येक गारा की १० तारीख ताकि राज्य सरकार को भेजेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशापुसार,

के. सी. सी. राजा, भपराचिव.

प्रख्य का

[नियम ३ (२) देखिये]

एह धर्म से जिसो आव्य धर्म में धर्म-संपरिवर्तन के संबंध में प्रजापना

प्रति,

जिला मणिस्ट्रोट,

जिला.....

मध्यप्रदेश,

ग्रामीदम,

मैं, श्री आत्मज निवासी का धर्म से धर्म में धर्म-संपरिवर्तन के लिये धार्मिक पुरोहित के रूप में आवश्यक संस्कार करके/धर्म-संपरिवर्तन के संस्कार में भाग लेकर, मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, १९६६ (क्र. २७, सन् १९६६), की उपधारा ५ की उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किये यसे अनुसार, एतद्वारा, धर्म-संपरिवर्तन की, निम्नानुसार प्रजापना देता हूँ—

१. धर्म-संपरिवर्तित व्यक्ति का नाम
२. धर्म-संपरिवर्तित अविता के पिता का नाम

- | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| ३. | धर्म-भास्त्रियसंवित व्यक्ति का पूर्ण पता | | | | |
| ४. | आमु | | | | |
| ५. | दुष्ट या स्त्री | | | | |
| ६. | धर्म-धर्मसंवित व्यक्ति की उपनीमेता तथा भास्त्रिक नाम | | | | |
| ७. | विवाहित है या अविवाहित | | | | |
| ८. | धर्म-धर्मसंवित व्यक्ति के आधिरा व्यवितयोंके, यदि कोई हों, नाम. | | | | |
| ९. | यदि अप्राप्त-नाम हो, तो अभिभासक नाम, यदि कोई हो, नाम तथा पूर्ण पता. | | | | |
| १०. | या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और यदि ऐसा है, तो ऐसी जाति या जनजाति की विशिष्टियाँ. | | | | |
| ११. | उस स्थान का, जहां धर्म-संपर्कवर्तन गंस्कार हुआ है, पूर्ण व्यर्ति सहित नाम. | गृह क्रमांक
मोहल्ला
वहसील | वाड़े क्रमांक
पारग
जिला | | |
| १२. | धर्म-संपर्कवर्तन का दिनांक | | | | |
| १३. | उस व्यक्ति नाम, जिनके धर्म-संपर्कवर्तन गंस्कार किया है, नाम तथा उराका पता. | | | | |
| १४. | पुरोहित और प्रशासना केने वाले व्यक्ति को छोड़कर, धर्म-संपर्कवर्तन संस्कार में उपस्थित नाम से कम दो व्यवितयों के नाम. | | | | |

धार्मिक पुरोहित/धर्म-संपरिवर्तन संस्कार में भाग लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर.

सत्यापन

गे, जिन हत्याकारकता, एतद्वारा, यह घोषणा करता है कि जो कुछ भी लम्हा दिया गया है मेरे सर्वोत्तम ज्ञान द्वारा ध्यान से सत्य है.

सामाजिक विद्या

हस्ताक्षर.

प्ररूप स

मध्यप्रदेश धर्म त्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 (क्रमांक 27 सन् 1968), की धारा 5 के अधीन दिनांक
को से
श्री आत्मज निवासी के
श्री आत्मज निवासी के
रमेश धर्म में धर्म-संपर्कितता के संबंध में प्रशापना प्राप्त हुई।

दिवाना

जिला मजिस्ट्रेट

प्रस्तुति

(नियम ५ देखिये)

धर्म-संपरिवर्तन का रजिस्टर

1. धर्म-संपरिवर्तन घटित का नाम
2. धर्म-संपरिवर्तन घटित को गिरा का नाम
3. धर्म-संपरिवर्तन घटित का पूर्ण नाम
4. अस्तु
5. गुण या लक्षी
6. धर्म-संपरिवर्तन घटित की उपचारिका एवं गांधिक धारा
7. चिवाहित है या अचिवाहित ?
8. धर्म-संपरिवर्तन घटित के आधिक व्यक्तियों के, यदि कोई हों, नाम
9. यदि आपस्तनय हो, तो अभिभावक का, यदि कोई हो, नाम तथा पूर्ण नाम
10. का वह अनुशूचित जाति या अनुशूचित जनजाति था है और यदि ऐसा है, तो ऐसी जाति या जनजाति की विज्ञिप्ति।
11. उत स्थान का, जहाँ धर्म-संपरिवर्तन संस्कार हुआ है, गृह क्रमांक वार्ड क्रमांक
पूर्ण व्यंगे सहित नाम. गोहल्ला ग्राम
तहसील ज़िला
12. धर्म-संपरिवर्तन का दिगंक
13. उस घटित का, जिसने धर्म-संपरिवर्तन रास्कार किया है, नाम तथा उसका पता
14. पुरोहित और प्रजापता देने वाले घटित को छोड़कर, धर्म-संपरिवर्तन तंस्कार में उपरिवर्तन का कम दो व्यक्तियों के नाम

प्रस्तुति

(नियम ६ देखिये)

मास की रिपोर्ट

1. मास के दौरान प्राप्त प्रजापताओं की संख्या
2. धर्मानुशार प्रजापताओं—दिव्योग—वह धर्म जिससे संपरिवर्तित किया गया.
3. अधिनियम के अधीन संस्थित अग्नियोजनों की, यदि कोई हो, संख्या
4. अधिनियम के अधीन दोषमुक्तियों तथा दोष-विद्वियों की मास के दौरान संख्या

ज़िला गजिस्ट्रेट

भीमपत्र, दिनांक 30 जनवरी 1969—ग्राम 10, 1890

नं. 251-1953-पर-धि-68.—आखल के गविधान के अनुच्छेद 348 के छप्ट (3) के अनुसार में इस विभाग की अधिसूचना नं. 250-1953-पर-धि-68, दिनांक 30 जनवरी 1969 का ग्रंथित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से दाता आदेशानुसार
के. सी. सी. राजा, अपर सचिव,

Bhopal, the 30th January 1969 - Magha 10, 1890.

No. 250-1953-पर-धि-68.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968 (No. 27 of 1968), the State Government hereby makes the following rules, namely:—

RULES

1. **Short title.** These rules may be called the **Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Rules, 1969.**

2. **Definitions.** In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Adhiniyam" means the **Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968** (No. 27 of 1968);
- (b) "Form" means a form appended to these rules;
- (c) "Intimation" means the intimation with respect to conversion required to be given under sub-section (1) of Section 5 of the Adhiniyam.

3. **Period within which intimation to be sent.**—(1) The intimation shall be sent to the District Magistrate of the district in which ceremony necessary for conversion has taken place within seven days after the date of such ceremony.

(2) The intimation shall be in Form A and shall be delivered either personally by the person giving such intimation to the District Magistrate or be sent to him by registered post with acknowledgement due.

4. **District Magistrate to issue acknowledge receipt.**—The District Magistrate on receiving the intimation shall sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the intimation has been delivered to him or received by him and shall forthwith acknowledge the receipt thereof in Form B.

5. **Register of conversion.** The District Magistrate shall maintain a register of conversion in Form C and shall enter therein particulars of the intimations received by him.

6. **Submission of Report to State Government.**—The District Magistrate shall, by the 10th of each month, send to the State Government a report of intimations received by him during the preceding month in Form D.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

K. O. C. RAJA, Addl. Secy.

FORM A

[See rule 2]

Intimation regarding conversion from one religious faith to another

To

The District Magistrate,
District
Madhya Pradesh.

Sir,

I having performed the necessary ceremony for conversion as a religious priest/having taken part in the conversion ceremony of Shri
s/o r/o
from religious faith to
religious faith, do hereby, give intimation of the conversion as required by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Dharma Swaranyam Adhiniyam, 1968 (No. 27 of 1968) as follows:

1. Name of the person converted
2. Name of the father of the person converted.
3. Address of the person converted in full. House No. Ward No.
..... Mohalla
Village Tah
..... Distt.
4. Age
5. Sex
6. Occupation and monthly income of the person converted.
7. Whether married or unmarried
8. Name of persons, if any, dependent upon the person converted.
9. If a minor, name and full address of the guardian, if any.
10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste or Tribe.
11. Name of the place where the conversion ceremony has taken place with full details. House No. Ward No.
Mohalla Village
..... Tah
Distt.
12. Date of conversion
13. Name of person who has performed the conversion ceremony and its address.
14. Names of at least two persons other than priest/ the person giving intimation present at the conversion ceremony.

Signature of the religious priest/the person taking part in the conversion ceremony.

VERIFICATION

I, the undersigned, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Place

Date..

Signature.

FORM B

(See rule 4)

Received intimation under section 5 of the Madhya Pradesh Dharma Swarajya Adhiniyam, 1968 (27 of 1968) on..... 1969 from Shri
s/o.....x/o.....with respect to conversion
of Shrix/o.....r/o.....from..... religious faith to ..
religious faith.

Date

District Magistrate.

FORM C

(See rule 5)

Register of conversion

1. Name of the person converted
2. Father's name of the person converted
3. Address of the person converted in full House No..... Ward No.....
..... Mohalla.....
Village Tah.....
Distt.
4. Age
5. Sex
6. Occupation and monthly income of the person converted.
7. Whether married or unmarried
8. Name of persons, if any, dependent upon the person converted.
9. If a minor, name and full address of the guardian, if any.
10. Whether belongs to Schedule Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste or Tribe.
11. Name of the place where the conversion ceremony has taken place with full details. House No..... Ward No....
..... Mohalla,
Village, Tah.....
Distt.

12. Date of conversion.
13. Name of person who has performed the conversion ceremony and his address.
14. Names of at least two persons other than priest/the person giving intimation present at the conversion ceremony.
- — —

FORM 1D

(See rule 6)

Report for the month of

1. No. of intimations received during the month.		
2. Religionwise intimations.	Break up the	Religion from which Converted	Religion to which converted
3. No. of prosecutions, if any, instituted under the Adhiniyam		
4. No. of acquittals and convictions under the Adhiniyam during the month.		

District Magistrate.